Rule 79: 1[****]

1 Omitted by Noti. No. 19/2022–Central Tax, dt. 28-09-2022 w.e.f. 01-10-2022. Earlier to omission it was read as,

"Rule 79: Communication and rectification of discrepancy in details furnished by the ecommerce operator and the supplier

- (1) Any discrepancy in the details furnished by the operator and those declared by the supplier shall be made available to the supplier electronically in FORM GST MIS-3 and to the e-commerce operator electronically in FORM GST MIS-4 on the common portal on or before the last date of the month in which the matching has been carried out.
- (2) A supplier to whom any discrepancy is made available under sub-rule (1) may make suitable rectifications in the statement of outward supplies to be furnished for the month in which the discrepancy is made available.
- (3) An operator to whom any discrepancy is made available under sub-rule (1) may make suitable rectifications in the statement to be furnished for the month in which the discrepancy is made available.
- (4) Where the discrepancy is not rectified under sub-rule (2) or sub-rule (3), an amount to the extent of discrepancy shall be added to the output tax liability of the supplier in his return in FORM GSTR-3 for the month succeeding the month in which the details of discrepancy are made available and such addition to the output tax liability and interest payable thereon shall be made available to the supplier electronically on the common portal in FORM GST MIS-3."

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम	79	:	¹ []
		•	[]

- (2) ऐसा प्रदायकर्ता, जिसको उप—नियम (1) के अधीन कोई विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, उस मास के लिए, जिसमें विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, प्रस्तुत किए जाने वाले जावक प्रदायों के विवरण में उपयुक्त परिशोधन कर सकेगा।
- (3) कोई प्रचालक, जिसको उप—िनयम (1) के अधीन कोई विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, उस मास के लिए, जिसमें विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में उपयुक्त परिशोधन कर सकेगा।
- (4) जहां उप—ितयम (2) या उन—ितयम (3) के अधीन कोई विसंगित परिशोधित नहीं की जाती है, वहां विसंगित के विस्तार तक रकम उस मास, जिसमें विसंगित के ब्यौरे उपलब्ध कराए जाते है, से उत्तरवर्ती मास के लिए प्ररूप जीएसटीआर—3 में उसकी विवरणी में प्रदायकर्ता के उत्पादन कर दायित्व में जोड़ी जाएगी और उत्पादन कर दायित्व में ऐसा परिवर्धन तथा उस पर संदेय ब्याज प्ररूप जीएसटी एमआईएस—3 में सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से प्रदायकर्ता को उपलब्ध कराई जाएगी।"

¹ अधिसूचना क्रमांक 19/2022—केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा नियम 79 विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2022)। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार थाः

[&]quot;नियम 79 : ई—वाणिज्य प्रचालक और प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों में विसंगति की संसूचना और उसका परिशोधन

⁽¹⁾ प्रचालक द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों में कोई विसंगति और प्रदायकर्ता द्वारा घोषित विसंगति प्ररूप जीएसटी एमआईएस—3 में इलेक्ट्रानिक रूप से प्रदायकर्ता को और प्ररूप जीएसटी एमआईएस—4 में इलेक्ट्रानिक रूप से ई—वाणिज्यिक प्रचालक को सामान्य पोर्टल पर उस मास, जिसमें सुमेलीकरण किया गया है, की अन्तिम तारीख को या उससे पहले उपलब्ध कराई जाएगी।